**प्रेस विज्ञप्ति**

**29.08.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत 26.08.2025 और 27.08.2025 को दिल्ली-एनसीआर और नोएडा में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड), फरीदाबाद, हरियाणा स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी, के खिलाफ फेमा जाँच के संबंध में था। यह तलाशी अभियान मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड के कार्यालयों और इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, काबुल चावला और पूर्णकालिक निदेशक, सुधांशु त्रिपाठी के आवासों पर चलाया गया।

फेमा के तहत जाँच इस सूचना के आधार पर शुरू की गई थी कि मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड ने मौजूदा फेमा नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए मॉरीशस स्थित संस्थाओं से 500 करोड़ रुपये (भारतीय रुपये के समतुल्य) से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया है। पूछताछ से पता चला कि कंपनी ने मेसर्स सीपीआई इंडिया लिमिटेड, पोर्ट लुइस, मॉरीशस से 322.5 करोड़ रुपये और मेसर्स हार्बर विक्टोरिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, मॉरीशस से 215 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त किया था।

ईडी की जांच से पता चला कि ये निवेश वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान स्वचालित मार्ग के तहत किए गए थे और इन्हें "पुट/स्वैप" विकल्प-धाराओं के साथ संरचित किया गया था, जो मौजूदा फेमा नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी निवेशकों को बाहर निकलने पर गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करते थे।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप बैंक लॉकर फ्रीज किए गए, महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए, जिससे पता चला कि शेयरधारकों के समझौते में संशोधन करने और तत्कालीन मौजूदा एफडीआई नीति के तहत निषिद्ध अनुचित "पुट ऑप्शन" खंड को हटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड इसका पालन करने में विफल रहा, जिससे फेमा प्रावधानों और लागू एफडीआई नियमों का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि काबुल चावला कई विदेशी संस्थाओं का लाभकारी मालिक था, जिनमें से एक का इस्तेमाल पहले न्यूयॉर्क, अमेरिका में एक महंगी अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था। ये विदेशी संस्थाएं, विदेशी संपत्ति और अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत भी अब चल रही फेमा जांच के हिस्से के रूप में जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा, जांच से पता चला कि मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न पुलिस थानों में लंबे समय तक विभिन्न परियोजनाओं को पूरा न करने और उनमें धन के डायवर्जन के लिए कई एफआईआर दर्ज हैं, जो भी जांच का विषय हैं।

आगे की जाँच जारी है।